**प्रेस नोट**

**जनपद सीतापुर**

**सतत पैरवी कर गैंगेस्टर के अभियोग में अभियुक्त को 2 वर्ष कारावास की सजा**

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर कोर्ट 11 सीतापुर द्वारा विचारण पूर्ण कर गैंगेस्टर के आरोपी को सजा सुनायी गयी है। पुलिस द्वारा थाना रामकोट से मु0अ0सं0 65/2015 वाद संख्या 16/2021 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामकोट बनाम कुंवर पुत्र बाबूलाल निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली नगर सीतापुर में न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय श्री मान विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर कोर्ट 11 सीतापुर द्वारा विचारण पूर्ण करते हुए अभियुक्त कुंवर उपरोक्त को 02 वर्ष कारावास की सजा एवं 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।